(49)

निगरानी 730-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

श्याम गिरि पुत्र पुत्र श्री जमुना गिरि ब्राह्मण, निवासी ग्राम दौनी, तहसील लवकुशनगर, जिला – छतरपुर (म.प्र.)
.... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) ....अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 7.5.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 730–एक / 15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/5/16	उभयपक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के न्यायालय के प्रकरण कमांक 36 / 2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–3–2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिसके विरूद्ध में आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 2– अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रचलित प्रकरण में सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं होने से धारा 52 का स्थगन दिये जाने का आवेदन अग्राह्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को आहूत किया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है अतः यह निगरानी आधारहीन होने के कारण प्रथमदृष्टया इसी स्तर पर सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	